



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 17 सितम्बर, 1985

भाद्रपद 26, 1907 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1666/सन्नह-वि-1 -1 (क)-30-1985

लखनऊ, 17 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय न उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथकर) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन गाड़ी (पथ-कर) अधिनियम, 1979 की धारा 7 में; उपधारा (1) में, शब्द “दो सौ पचास” के स्थान पर, शब्द “पांच सौ” रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 18  
सन् 1979 की  
धारा 7 का संशोधन

आज्ञा से,  
बी० एल० लुम्बा,  
सचिव।

No: 1666(2)/XVII-V-1—1(KA)-30-1985

Dated Lucknow, September 17, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Parivahan Gadi (Pathkar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 17, 1985:

**THE UTTAR PRADESH MOTOR TRANSPORT VEHICLES (TOLL)  
(AMENDMENT) ACT, 1985**

(U. P. ACT NO. 30 OF 1985)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*AN  
ACT*to amend the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Act, 1979*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) (Amendment) Act, 1985.

Amendment of  
section 7 of  
U. P. Act no. 18  
of 1979.

2. In section 7 of the Uttar Pradesh Motor Transport Vehicles (Toll) Act, 1979, in sub-section (1), for the words "two hundred and fifty" the words "five hundred" shall be substituted.

By order,  
B. L. LOOMBA,  
Sachiv.